Annual Report 2020-21

Multi Art Association

www.maango.org

06562-295286, 9431193202

maa.palamu@gmail.com

वार्षिक प्रतिवेदन 2020–21

–: संस्था का विजन (दृष्टि) :–

दलित–आदिवासी, महिलाओं और बच्चों सहित समाज के कमजोर वर्ग को शिक्षा, कृषि, स्वास्थ्य और आजीविका से जोड़ कर एक टिकाऊ विकास की परिकल्पना करना, जिससे कि पर्यावरण, भाषा–संस्कृति, रीति–रिवाज, समाजिक संरचना, मौलिक अधिकार और मानवीय मूल्यों की रक्षा हो सके और स्वस्थ्य समाज की स्थापना किया जा सके।

संस्थागत कार्यक्रमों की पृष्ठभूमि

मल्टी आर्ट एसोसिएशन, सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट की धारा 21, 1860 के तहत् निबंधित एक गैर सरकारी संस्था है। संस्था निर्माण काल से ही पलामू प्रमण्डल सहित पूरे झारखंड में समाज के दबे–कुचले वर्ग के लिए काम करती आ रही है। उनके हक व अधिकार के प्रति लोगों को सजग कर रही है। इसके साथ ही संस्था सरकार के विभिन्न विभागों से समन्वय स्थापित कर सरकारी कार्यक्रमों को बेहतर बनाने तथा उसका समाज के अंतिम व्यक्ति तक लाभ पहुंचाने का काम करती रही है। पलामू प्रमंडल जैसे सुखाग्रस्त इलाकों में आजीविका के लिए लोगों को काफी संघर्ष करना पड़ रहा है।

उसी संघर्ष से निबटने के लिए संस्था द्वारा आजीविका सुनिश्चित कराने की दिशा में प्रयास शुरू किया गया है। उन्ही प्रयासों के तहत् पलामू, गढ़वा व लातेहार जिले के मनिका, बरवाडीह, गारू और महुआडांड प्रखंड के करीब 10 गांवों में लाह की खेती को बढ़ावा देने के उदेश्य से महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कानून को लेकर मनिका व बरवाडीह के 163 गांवों में सीधे तौर पर सीएफटी कार्य से जुड़ी है, इसके अलावे लातेहार हेरहंज सहित अन्य प्रखंडों व गढ़वा के चिनियां, भंडरिया, बड़गड़, रमकंडा और रंका प्रखंड तथा पलामू के चैनपुर, पांकी, मनातू, तरहसी लेस्लीगंज व सतबरवा प्रखंड में मनरेगा के साथ–साथ ग्राम सभा सशक्तिकरण, वन अधिकार कानून 2006, खाद्य सुरक्षा जैसे मामलों को लेकर संस्था जिला से लेकर राज्य स्तर पर जन संवाद स्थापित कर बेहतर विकास का वातावरण बनाने का प्रयास कर रही है। महिलाओं के अधिकार को सुनिश्चित तथा उनके अंदर नेतृत्व लाने के उदेश्य से संस्था द्वारा यंग वूमेन लीडरशीप कार्यक्रम शुरू किया गया है, साथ ही साथ महिलाओं के साथ होने वाले हिंसा, यौन शोषण एवं अन्य प्रकार से होने वाले भेद भाव पर भी कार्य कर रही है। दलित और आदिवासी समुदाय के लोगों के लिए अनुसूचित जाति उप योजना और अनुसूचित जनजाति उपयोजना के प्रचार–प्रसार कर उनके प्रावधानों को बजट के माध्यम से पहुंचाने का प्रयास शुरू किया है। शिक्षा अधिकार कानून के प्रावधानों को लोगों तक पहुंचाकर बच्चों के शिक्षा के अधिकारों को सुनिश्चित करने का प्रयास करते आ रही है। वहीं सहायता केंद्र के माध्यम से नरेगा, राशन–पेंशन के मुद्दों को लेकर केंद्र के माध्यम से सहयोग करते आ रही है। संस्था द्वारा भारत सरकार महिला एवं बास विकास मंत्रालय, भारत सरकार व चाइल्डलाइन इंडिया फाउंडेशन के सहयोग लातेहार जिला चाइल्ड हेल्प लाइन 1098 की

संस्था का प्रोफाईल

- संस्था का नाम : मल्टी आर्ट एसोसिएशन।
- निबंधित कार्यालय : माँ भवन, पाँकी रोड, रेड़मा, मेदिनीनगर, पलामू (झारखण्ड)
- पत्रचार /मुख्य कार्यालय : म0 सं0 153/अ/1, मुहल्ला– बुधनडीह, सुदना नियर बाजार समिति, सुदना, डालटनगंज, पलामू, झारखंड–822102
  E-mail-maa.palamu@gmail.com
  www. maango.org
- संस्था का निबंधन : सोसाईटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 21, 1860/177/2007–08
- निबंधन संख्या : 177/2007–08
- पैन संख्या : **AACTM9265D**
- 12A प्रमाण पत्र संख्या : AACTM9265DE20214
- 80G : AACTM9265DF20214
- NGO-Darpan (Uniue id of Vo/NGO) : JH/2018/0184930
- FCRA No. : 337790038
  FCRA बैंक खाता संख्या :– 30774140433
  शाखा:–भारतीय स्टेट बैंक, कृषि विकास शाखा, डालटनगंज
- सामान्य बैंक खाता संख्या : 1. खाता संख्या–32401106459
  शाखा:– भारतीय स्टेट बैंक, कृषि विकास शाखा, डालटनगंज
  2. खाता संख्या–**12588104000016940**
  शाखा:– **IDBI Bank ,** डालटनगंज षाखा।
- खाता संचालन : अध्यक्ष, सचिव एवं कोषाध्यक्ष में से किसी दो के संयुक्त हस्ताक्षर से जिसमें कोषाध्यक्ष का हस्ताक्षर अनिवार्य है।

संस्था की कार्यकारिणी समिति

क्र.सं.	नाम	पता	शैक्षणिक योग्यता	पद
1.	जितेंद्र सिंह	ग्राम–चेतमा, पो. रॉकी कला थाना–मनिका, जिला–पलामू, झारखंड	आई.टी.आई	अध्यक्ष
2.	मिथिलेश कुमार विश्वकर्मा	नियर, बाजार समिति, सुदना, डालटनगंज, पलामू, झारखंड	एम.ए.आर.डी.	सचिव
3.	जेम्स हेरेंज	ग्राम–चीरो, पो0 + थाना–चंदवा जिला– लातेहार, झारखंड	आई.टी.आई	कोषाध्यक्ष
4.	तागरेन केरकेट्टा	ग्राम–कालाखजरी, पो.–परसवार, प्रखंड– बड़गड़, जिला–गढ़वा, झारखंड	बी.ए.	सदस्य
5.	अंजना ग्रेस हुहड़	ग्राम–होमिया, पो.–बैरिया, प्रखंड– रामकंडा, जिला–गढ़वा, झारखंड	बी.ए.	सदस्य
6.	सुभाष लोहरा	ग्राम. केड़, छिपादोहर, बरवाडीह, लातेहार	मैट्रिक.	सदस्य
7.	वीरेंद्र कुमार पासवान	ग्राम–भुड़वा, पो0 कांकेकला थाना–पाटन, जिला पलामू, झारखंड	ग्रेजूएट	सदस्य

संस्था का कार्यक्षेत्र

क्र.सं	जिला	प्रखंड	गांव की संख्या	कार्यक्रम
1.	लातेहार	बरवाडीह, मनिका, गारू और महुआडांड, बारियातू, हेरहंज	180	• वनाधिकार, • नरेगा सहायता केंद्र, • संस्था नेटवर्क • कायर्क्रम का संचालन • ग्राम सभा का सशक्तिकरण क्षमता बर्धन ।
2.	पलामू	मनातू, चैनपुर, रामगढ़, सतबरवा, डालटनगंज, लेस्लीगंल, पांकी और तरहसी	80	• वनाधिकार • 25 प्रतिशत बजट कैंपेन के साथ। • संस्था नेटवर्क कार्यक्रम • महिलाओं का कानूनी सहयोग • बच्चों के अधिकार • नरेगा सहायता केंद्र, • बाल अधिकार व चाईल्ड लाइन 1098 कार्यक्रम
3.	गढ़वा	मेराल व भंडरिया, बड़गड़, चिनियां, रंका, रमकन्डा	190	• वनाधिकार, • ग्रामसभा सेशक्तिकरण, • संस्था नेटवर्क कार्यक्रम। • नरेगा सहायता केंद्र,
4.	लोहरदागा	सेन्हा और भण्डरा	95	• नरेगा सहायता केंद्र,

संस्था के पास संसाधन

मानव संसाधनन	पुरूष	महिला	कुल	भौतिक संसाधन	संख्या
कार्यालय स्टॉफ फुल टाईम	2	1	3	कार्यालय भवन (बरवाडीह, डालटनगंज,)	3
फिल्ड स्टॉफ फुल टाइम –10	34	9	38	डिजीटल कैमरा	4
कैडर – 30	20				
कॉडिनेटर	6	2	8	कम्प्युटर व लैपटॉप	4+12
इंजिनियर	1	0	1	विडियो कैमरा	1
				मोटरसाइकिल	2
				टैब	10
				प्रिंटर और स्कैनर	18
				जमीन ट्रेनिंग सेंटर के लिए	99 डी.

नरेगा सहायता केंद्र

नरेगा सहायता केंद्र :– मनरेगा मजदूरों व दलित, आदिवासी, महिला, आदिम जनजाति समुदायों को मदद पहुचाने के उदेश्य को लेकर मनिका व बरवाडीह में सरकार व सीएफटी कार्यक्रम के सहयोग से नरेगा सहायता केंद्र का संचालन किया जा रहा था। सीएफटी कार्यक्रम के समाप्त होने के पश्चात भी संस्था नरेगा सहायता केंद्र को सहयोग जारी रखा है। प्रत्येक शुक्रवार व मंगलवार को केंद्र खोला जाता है, जहां मजदूर पहुँच कर मनरेगा मजदूरी, राशन, पेंशन जैसे तमाम योजनाओं की जानकारी व सहयोग के लिए पहुँचते हैं। केंद्र के कार्यकर्ता व अन्य साथी मिलकर मजदूरों को आवेदन बनाने से लेकर उन्हें एमआइएस की भी जानकारी उपलब्ध कराते है। नरेगा सहायता केंद्र व सहयोगी संगठन ग्राम स्वराज मजदूर संघ तथा महिला अधिकार संघर्ष समिति के द्वारा समय पर मजदूरों के अधिकार व उनके जागरूकता के कार्यक्रमों का आयोजन करते रहे हैं। संस्था के द्वारा पलामू प्रमंडल में बरवाडीह, गारू, महुआडां, बड़गड़, भंडरिया, रंका, सतबरवा, रामगढ़ तथा लोहरदागा जिले में सेन्हा और भंडरा प्रखंड में नरेगा सहायता केंद्र का संचालन किया जा रहा है।

Activities	Number
Job Card application submitted	762
Job Card renewal application	452
Account freez application	66
UID No. Link application	0
Application for Name addition in Job Card	150
Work Demand Application Submitted in Job Card	1728
application for Due wages Nrega	349
Appication for unemployment wages Nrega	20
NREGA Related other complains	144
Application for Bank account open	175
Application for New PDS Card	479
Application for Name add in PDS Card	374
Application for irregularities in PDS	138
Application for Metarnity Benefit Schems	26
Application submitted for Old Age Pension	584
Application submitted for PVTG Pension	143
Application submitted for Widow Pension	178
Application submitted for Disability Pension	55
Letter communicated to Block/Distt/State	32
Distt. Regional meeting attended	26

ग्राम सभा सशक्तिकरण व जागरूकता अभियान कार्यक्रम

गांव में विकास योजनाओं को मजबूती से लागू करने के लिए ग्राम सभा का मजबूत होना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि ग्राम सभा को संवैधानिक शक्तियां प्राप्त है। गांव में रहने वाले लोगों को विकास के लिए योजना बनाने, योजनाओं की निगरानी करने तथा सामजिक अंकेक्षण करने में सक्षम होना चाहिये।, ग्राम सभा के लोंगों में उपरोक्त क्षमता नहीं होने के कारण गांव का संपूर्ण विकास नहीं हो पा रहा है। ग्राम सभा के सदस्यों को कानूनी जानकारी नहीं होने के कारण ग्राम सभा के हाथों से जल, जंगल और जमीन निकलते जा रहे हैं। जिसके कारण ग्रामीणों के समक्ष आजीविका का संकट मंडरा रहा है। ऐसे में गांव के लोगों को आजीविका की तलाश में बाहर पलायन करने को विवश होना पड़ रहा है। इन कारणों से आजीविका के साथ–साथ छोटे बच्चे भी शिक्षा से वंचित हो जा रहे हैं और उनका भविष्य भी गरीबी के दलदल में फंसता जा रहा है। ग्राम सभा को मजबुत करने के लिए संस्था द्वारा लातेहार, गढ़वा व चतरा जिले के करीब 32 गांव में निम्नलिखित कार्यक्रम चलाये जा रहे हैं।

ग्राम सभा की पुर्नस्थापना :– UUHIP परियोजना की टीम के द्वारा ग्राम सभा सदस्यों के साथ मिलकर वित्तीय वर्ष 2019–20 में भी कई ग्राम सभाओं की पुर्नस्थापना एवं उनकी समितियों का पुर्नगठन किया गया। बड़गड़ प्रखंड के गांव बिंजपूर एवं सालो बड़गड़ के बिंजपूर, बांड़ी खजुरी, कला खजुरी एवं गोठानी की ग्राम सभा पुर्नस्थापना/पुर्नगठन का घोषणा पत्र माननीय राष्ट्रपति भारत गणराज्य, झारखंड के माननीय राज्यपाल, मुख्य सचिव, सचिव पंचायत राज विभाग, जिले के उपायुक्त, जिला वन पदाधिकारी, अनुमंडल पदाधिकारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं थाना प्रभारी को रजिस्टर्ड डाक द्वारा भेजा गया। बांड़ी खजुरी, कला खजुरी एवं गोठानी में ग्राम सभा सचिवालय का उदघाटन वहां के ग्राम प्रधानों द्वारा किया गया। अब ग्राम सभा के सभी दस्तावेज रखने का एवं ग्राम सभा के अन्य कार्यों को सुचारू रूप से चलाने में आसान होगा। बांड़ी खजुरी, कला खजुरी एवं गोठानी ग्रामों का सामाजिक, संसाधन एव आर्थिक स्थिति का मानचित्रण भी किया गया। इससे ग्राम सभा की योजनाओं को बनाने में सुविधा होगी। पेसा कानुन पर एक दिन का कंसलटेशन वर्कशॉप रांची में टीम द्वारा किया गया। इस वर्कशॉप में पेसा कानून की झारखंड में स्थिति एवं राज्य सरकार द्वारा इसके क्रियान्वयन के लिये कोई कानून नहीं बनाने पर चिंता की गई एवं इसके लिये सरकार से वार्ता करने पर सहमति बनी।

जुलाई माह में टेंहड़ी ग्राम की ग्राम सभा के पूनर्गठन के लिये बैठक की गई एवं ग्राम सभा के पूनर्गठन करने का निर्णय लिया गया।

माह अगस्त में सभी ग्राम सभा सचिवालय में स्वतंत्रता दिवस धुमधाम से मनाया गया एवं झंडोत्तोलन किया गया। ऐसा यहां पहली बार हुआ है कि ग्राम सभा ने अपने सचिवालय में राष्ट्रीय ध्वज को फहराया है। बड़गड़ में आदिवासी दिवस भी धुमधाम से मनाया गया।

सितम्बर माह में सरहुल एवं करमा पर्व बड़गड़ में मनाया गया। ग्राम सभा की सभी समितियों का प्रशिक्षण भी किया गया।

इस वर्ष के अन्य क्रिया कलाप एवं कार्यक्रम इस प्रकार हैं संविधान दिवस मनाया गया। महिलाओं के अधिकार पर एवं महिलाओं के लिये संपत्ति पर अधिकार के चर्चा की गई।

वनाधिकार कानून (FRA) को लेकर जागरूकता व दावा सृजन कार्यक्रम

वनाधिकार कानून 2006 को समुदाय के लोगों के बीच जागरूकता व दावा पत्रों के माध्यम से व्यक्तिगत व सामुदायिक अधिकार को लेकर संस्था द्वारा जीजीएफ के सहयोग से गढ़वा जिला के बडगड़ प्रखंड के सभी पंचायतों एवं झारखंड वनाधिकार मंच के सहयोग से पलामू जिला के रामगढ़ मनातू, लेस्लीगंज, सतबरवा, विभिन्न पंचायतों में साथ ही लातेहार जिले के मनिका एवं बरवाडीह प्रखंड में जागरूकता व दावा पत्रों के माध्यम से व्यक्तिगत व सामुदायिक अधिकार को लेकर कार्यक्रम शुरू किया गया।

इस कार्यक्रम के अंतर्गत वनभूमि के लाभुकों को वन भूमि पर पट्टा का अधिक से अधिक सृजन करने के लिये बड़गड़ प्रखंड के सभी 22 गांवों में वनाधिकार समिति के गठन हेतु पंचायत प्रतिनिधियों के साथ बैठक कर उन्हें वनाधिकार कानून के कानूनी प्रावधानों की जानकारी दी गयी और उन्हें जंगल पर सामुदायिक अधिकार के बारे में समझायी गयी, ताकि जंगल समुदाय को अधिकार हो सके और वे अपने आजीविका के लिए इसका उपयोग कर सके। रंका प्रखंड के विभिन्न गांवों में सामुदायिक दावा के लिये पंचायत प्रतिनिधियों के साथ बैठक की गई है, इसके अलावा झारखंड वनाधिकार मंच के सहयोग से पलामू के चैनपूर, रामगढ ,पाटन, डालटनगंज सदर एवं छत्तरपुर में वन पट्टा के लिये समुदाय के लोगों को सहयोग किया जा रहा है।

इस वर्ष 2020–21 में पलामू, गढ़वा व लातेहार जिला में 49 सामूदायिक वन संसाधनों पर अधिकार का दावा प्रपत्र अनुमंडल स्तरीय वन अधिकार समिति (SDLC) में जमा (submit) किया गया।

कार्यक्रम के अंतर्गत तकनीकि सहयोग :– वन भूमि के पट्टा के लाभुकों को तकनीकि मदद के लिए नक्सा बनाना तथा नक्सा तथा नक्से हेतू जीपीएस के इस्तेमाल से संबंधित जानकारी दी जा रही है। वन भूमि के पट्टे लाभुकों के दावा पत्र में संलग्न करने हेतू फोटो आदि लेने में मदद की जा रही है। इसके साथ ही साथ नक्सा, फोरमेट डिजाइन करने तथा उसे प्रिंटिंग या फोटो कॉपी करार कर उनको उपलब्ध करायी जा रही है, ताकि अधिक से अधिक दावा पत्रों का सृजन किया जा सके।

प्रभावकारी तरीके से वनाधिकार कानून को समुदाय तक पहुचाने के तरीके :– वनाधिकार कानून 2006 को समुदाय के लोगों तक कानूनी प्रावधानों को पहुँचाने के लिए वनाधिकार कानून 2006 और पेसा कानून से संबंधित कई बुकलेट, पोस्टर अन्य सामग्रियों का वितरण किया गया, ताकि सामुदाय के लोग वनाधिकार कानून 2006 की जानकारी मिल सके। वहीं संस्था द्वारा लातेहार जिला के मनिका, बरवाडीह और पलामू जिला के विभिन्न प्रखंडों में प्रचार–प्रचार के साथ मिटिंग व कार्यशाला कर वनाधिकार समिति और वन मित्रों को प्रशिक्षित किया गया, ताकि अधिक से अधिक दावा पत्रों का सृजन किया जा सके।

सरकार के साथ समन्वय :– वनाधिकार कानून 2006 को लागू कराने के लिए संस्था द्वारा जिला व अमनुमंडल व जिला स्तरीय समिति के साथ दावा पत्रों को लेकर लगातार जनवकालत की जा रही है, इसके साथ ही अनुमंडल व जिला स्तरीय समिति के सदस्यों को वनाधिकार कानून 2006 के प्रावधान सहित अन्य जानकारी भी दी जा रही है, साथ ही साथ अनुमंडल स्तरीय समिति में जमा किये गये दावा पत्रों को स्वीकृती व त्रुटियों को लेकर संबंधित अधिकारियों के साथ प्रखंड, अनुमंडल व जिला स्तरीय समिति तक संवाद स्थापित की जा रही है।

महिला टेक्नालॉजी इम्पावर सेंटर

संस्था अपने कोर फंड से महिला तकनीक सशक्तिकरण कार्यक्रम पलामू जिला के सदर प्रखंड अंतर्गत मेदिनीनगर के अंतर्गत आने वाले गांव सिंगरा, जोड़, निमियां, पोखराहा और आसपास के गांव के युवा लड़कियों को सेंटर से जोड़कर कार्यक्रम का संचालन कर रही है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत 14–25 उम्र की लड़कियों के बीच नेतृत्व व उनका क्षमता बढ़ाने के उदेश्य को लेकर 40 लड़कियों के साथ कार्यक्रम की शुरूआत की गयी है। इस कार्यक्रम के संस्था के प्रधान कार्यालय के प्रशिक्षण हॉल में शुरूआत की गयी है। इस सेंटर में वैसी लड़कियों को मौका दिया गया है, जो समाज के कमजोर वर्ग व आर्थिक रूप से कमजोर है, इन लड़कियों को कम्प्यूटर शिक्षा से जोड़ने टेक्नालॉजी से अवगत कराने का प्रयास किया जा रहा है, खास कर हमारे समाज में लडकि़यों के शिक्षा की जब बात आती है, तो शिक्षा को लेकर भेद–भाव किया गया है, इसी समस्या को ध्यान में रखकर इस कार्यक्रम की शुरूआत की गयी है। इसके साथ ही साथ लडकियों को उनके अधिकारों को लेकर समय–समय पर कार्यशाला कर उन्हें उनके अधिकार की बातें बतायी जा रही, ताकि लड़कियों के अंदर निर्णय लेने की क्षमता विकसित हो सके। इसके लिए कम्प्यूटर कोर्स ऐसा बनाया गया कि उन्हें आजीविका के साथ स्वावलंबी भी बनने में मदद मिलेगी, ताकि महिलाओं को उनका अधिकार मिल सकें। इस वर्ष 2019–20 में 30 लड़कियों ने इस केन्द्र से प्रशिक्षण प्राप्त किया।

महिला अधिकार व महिला कानून सहयोग हेतू कार्यक्रम

संस्था द्वारा आली के साथ मिल कर पलामू के सतरबवा, मेदिनीनगर, विश्रामपुर और चैनपुर प्रखंड में महिलाओं को महिला अधिकारों के प्रति जागरूक करना तथा कानूनी जानकारी और मदद दी जा रही है। इन महिलाओं को न्याय दिलाने के लिए थाना तथा महिलाओं को लेकर न्यायिक संस्थाओं के साथ समन्वय स्थापित कर उन्हें न्याय दिलाने में मदद करते है। संस्था इन चिन्हित प्रखंडों में अपने केस वर्कर के माध्यम से महिला हिंसा से प्रताड़ित महिलाओं का केस अध्ययन कर न्यायिक संस्थाओं के साथ समन्वय स्थापित करती है, ताकि पीड़ित महिलाओं को न्याय मिल सके। इसके साथ ही साथ महिलाओं को महिला हिंसा व महिला अधिकार कानून के प्रति जागरूक करने के लिए गांव स्तर पर बैठक कर उन्हें कानूनी जानकारी भी दी जा रही है। इसके अलावा लातेहार एवं गढ़वा प्रखंड में भी इस तरह के कार्यक्रम चलाये जा रहे हैं। इस कार्यक्रम के अंतर्गत इस वित्तीय वर्ष में लगभग 70 केस घरेलू हिंसा और महिला प्रताडना, छेड़छाड़, डायन प्रताड़ना सहित कई केस आये। संस्था केस वर्कर की मदद से महिलाओं को कनूनी सलाह एवं सहयोग किया। वहीं दूसरी और पलामू प्रमंडल के तीनों जिला लातेहार, गढ़वा व पलामू में हुए महिला अत्याचार से संबंधित कई मामले में फैक्ट फाइडिंग एवं संबंधित विभाग व संस्थानों के साथ पत्राचार कर मदद की है। इसके साथ ही संस्था के द्वारा बाल अधिकार को लेकर भी मदद की गई है।

चाइल्ड लाइन सेवा 1098

संस्था के द्वारा लातेहार जिला मुख्यालय में दिसंबर 2020 से महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार तथा चाइल्ड लाइन इंडिया फाउंडेशन के सहयोग से कोलैब चाइल्ड लाइन की शुरू की गयी है। इस सेवा के अंतर्गत चाइल्ड लाइन के टीम मेंबर 24 घंटे बच्चों के लिए सेवा में तैयार रहते हैं। टीम सदस्यों के द्वारा जिले सभी प्रखंडों में आउंटरीच, ऑपेन हाउस, पेंटिंग प्रतियोगिता, चाइल्ड लाइन से दोस्ती जैसे अन्य कार्यक्रम के माध्यम से 1098 सेवा को लेकर जागरूक कर ही है। इसके साथ ही जिला बला संरक्षण इकाई और सीडब्लूसी के साथ मिलकर बच्चों के साथ वैसे जरूरतमंद बच्चों के गृह सत्यापन के बाद उनके परिजनों तक पहुँचाने का काम किया है। चाइल्ड लाइन लातेहार के गतिविधियां आंकड़ों के नजर में इस प्रकार है :–

Type of Case	Number of Case
1908	66
Out Reach	90
DCPU Unit	78
CWC	18
Police Station	3

Covid-19 को लेकर गतिविधियां

Covid-19 महामारी के दौरान संस्था के द्वारा गांव–गांव हुए समस्या को लेकर विभिन्न तरह की गतिविधियां चलायी गयी।

- **जगरूता कार्यक्रम** – Covid-19 के दौरान संस्था के द्वारा, पलामू, गढ़वा व लातेहार में संस्था कार्यक्षेत्र में कोरोना से संबंधित भारत सरकार के द्वारा जारी की गयी दिशा–निर्देशन को गांव--गांव में जाकर संस्था के कार्याकर्ता व वोलेंटियर के द्वारा करोना से बचाव व सवधानियां को लेकर प्रसार–प्रसार किया गया, ताकि तेज गति से फैल रही कोरोना महामारी से लोगों को बचाया जा सके।
- **मास्क व सेनेटाइजर का वितरण** :– संस्था के द्वारा पलामू, लातेहार व गढ़वा के विभिन्न गांवों में करीब 20000 मास्क और 100 लीटर सेनेटाइजर का वितरण किया गया, ताकि लोगों को कोरोना जैसे महामारी से बचाया जा सके।
- **कि□ोरी युतियों के लिए सेनेटरी पैड का वितरण** :– कोरोना महामारी में बाजार बंद होने के कारण कोशोरियों युवतियों व महिलाओं के बीच काफी परेशानी बढ़ गयी थी, उन परेशानियों को देखते हुए संस्था के महिला टीम सदस्यों द्वारा करीब 3000 किशोरी युवतियों के बीच सेनेटरी पैड का तिवरण किया गया, ताकि उन्हें हेल्थ हाइजिन की समस्या से बचाया जा सके।
- **राज्य या राज्य के बाहर से आने वाले मजदूरों की मदद** :– कोरोना महामारी के दौरान राज्य से बाहर गये मजदूरों को घर वापस आने में राज्य मजदूर हेल्पलाइन के सहयोग से बचाने में संस्था के द्वारा मदद की गयी, नेटवर्क के माध्यम से अन्य राज्यों में फंसे मजदूरों को भी झारखंड आने में मदद की गयी साथ ही साथ दूसरे राज्यों से आये मजदूरों व उनके परिवारों को खाद्य सामग्री व अन्य जरूरत की वस्तु उपलब्ध कराने में मदद की।
- **जिला प्र□ासन व राज्य सरकार के साथ मिलकर मदद** :– संस्था करोना महामारी के दौरान जिला प्रशासन व राज्य सरकार के द्वारा प्रखंड स्तर पर बनाये गये हेल्पलाइन के माध्यम से लोगों को मदद करने में सहयोग किया गया।
- **खाद्य सामग्रियों का वितरण** :– कोरोना महामारी से गांव व राज्य से बाहर आने वाले मजदूरों के सामने खाद्य संकट उत्पन्न हो गयी थी। इस संकट से निबटने के लिए विभिन्न दाता एजेंसी के साथ समन्वय स्थापित कर फंड का इन्तजाम किया गया था। पलामू, लातेहार और गढ़वा जिला के करीब 3 हजार से अधिकर परिवारों के बीच खाद्य सामग्री का वितरण किया गया, ताकि इस संकट से लोगों को निकाला जा सके। संस्था द्वारा खास कर आदिम जनजाति समुदाय के 500 परिवारों के लिए एक माह का राशन की उपलब्ध कराया गया, ताकि कोरोना के कारण उत्पन्न खाद्य संकट से बचाया जा सके।
- **सरकारी योजनाओं से जोड़ना**:– संस्था के द्वारा राशन, पेशन तथा मनेगा जैसे जन उपयोगी योजनाओं से गांव के जरूरतमंद लोग व मजदूरों को जोड़ने का काम संस्था द्वारा संचालित नरेगा सहायता केंद्र व संस्था के कार्यकर्त्ताओं के द्वारा किया गया।
- **मास्क बनाने का कार्य** :– संस्था द्वारा संचालित युथ विमेन कार्यक्रम के अंतर्गत मास्क बनाने का काम शुरू किया गया। इस क्रम में गांव की वैसी महिलाओं को भी जोड़ा गया, जो सिलाई कर अपनी जीविका चला रही थी और इस दौरान उनका काम बंद हो चुका था, संस्था ने उन्हें मास्क बनाने के काम जोड़ा तथा लोगों तक कपड़े से निर्मित मास्क पहुँचाने का काम किया।

संस्था के अन्य गतिविधि / कार्यक्रम

- संस्था नरेगा, पानी, दलित आदिवासी व महिलाओं के समस्याओं को लेकर डक्यूमेंट्री फिल्म का निर्माण किया जा रहा है। संस्था यह प्रयास करते हुए मुद्दा आधारित डक्यूमेंट्री फिल्म के माध्यम से लोगों के हक व न्याय के लिए जारूक कर रही है, इस प्रयास में संस्था हमेशा आगे रही है।
- संस्था आदिवासी, दलित व महिलाओं तथा बच्चों के अधिकार व आजीविका के लिए कार्यक्रम को लागू व संचालन करने का अन्य संस्थाओं व संगठनों के माध्यम से करते आ रही है।
- संस्था द्वारा झारखंड में अनुसूचित जाति उप योजना और अनुसूचित जनजाति उप योजना के बारे में दलित व आदिवासी समुदाय के लोगों तक पहुंचाने के लिए जागरूकता कार्यक्रम का संचालन में अपने सहयोगी संस्था एनसीडीएचआर के सहयोग से झारखंड के विभिन्न जिलों में व राज्य के अन्य इलाकों किया जा रहा है।
- आदिम जनजाति को उन्हें सरकारी योजनाओं से जोड़ने के लिए समय–समय पर संस्था द्वारा जागरूकता तथा प्रष्षिक्षण व बैठक का आयोजन किया जाता है। इसके माध्यम से आदिम जनजाति परिवारों को उनके अधिकार व उसे हासिल करने के लिए कानूनी प्रावधानों की भी जानकारी संस्था द्वारा दी जाती रही है।
- यूआरआई के साथ जुड़ कर समाज में शांति व सद्‌भावना बनाए रखने के लिए संस्था हमेशा प्रयास करते रही है।
- मानव तस्करी के खिलाफ संस्था जागरूकता कार्यक्रम के साथ बच्चों को उनके मां–बाप तक पहुँचाने का काम करने वाले अन्य संगठनों के साथ समन्वय करती रही है।
- संस्था द्वारा महिलाओं एवं बच्चों के अधिकारों को लेकर प्रशिक्षण सह कार्यशाला व अन्य कार्यक्रमों का संचालन करती रही है।
- संस्था के द्वारा भाषा व संस्कृति को बचाने के लिए गविधियां चलायी जा रही है, जिसमें कोरवा आदिम जनजाति समुदाय के लोगों के विलुप्त हो रहे कोरवा भाषा को बचाने के लिए समुदाय के नौजवानों को तैयार कर उनके द्वारा कोरवा भाषा का शब्द कोष तैयार कराया गया, जिसका प्रकाशन संस्था के द्वारा किया गया है। कोरवा भाषा के शब्द कोष की सराहना देश के प्रधान मंत्री माननीय नरेंद्र मोदी ने भी की है.
- मनरेगा को बेहतर क्रियान्वयन को लेकर झारखंड सरकार द्वारा स्थापित सामजिक अंकेक्षण इाकई को मजबूत करने तथा सामाजिक अंकेक्षण की प्रक्रिया को बेहतर बनाने के लिए संस्था वह संस्था के पदाधिकारी मदद करते रहे हैं।
- राशन और पेंशन की पहुँच आम जनों तक हो इसके लिए मनिका के विभिन्न गांवों में जागरूकता सभाएं की गईं एवं प्रखंड एवं जिला के साथ मिलकर एडवोकेसी की गई है।
- संस्था द्वारा महिला दिवस व मजदूर दिवस प्रत्येक वर्ष मनायी जाती है और इन कार्यक्रमों में महिलाओं एवं मजदूरों की अधिकाधिक सहभागिता रहती है कि वे इसका महत्व समझें एवं अपने हक और अधिकार के लिये सचेत रहें।
- सरकार के विभिन्न विभागों के साथ सहयोग व प्रशिक्षण का तकनीकि सहयोग।
- दलित व आदिवासी मुद्दों के बजट को लेकर एनसीडीएचआर के साथ जागरूकता कार्यक्रम।
- दलित व आदिवासीर छात्रों के लिए चलायी जा रही पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशीप को लेकर जागरूकता कार्यकर्ता नेटवर्क संस्थाओं के साथ.

संस्था के गतिविधियों का फोटोग्राफ

नरेगा द्वारा संचालित आम बागवानी की गतिविधियां

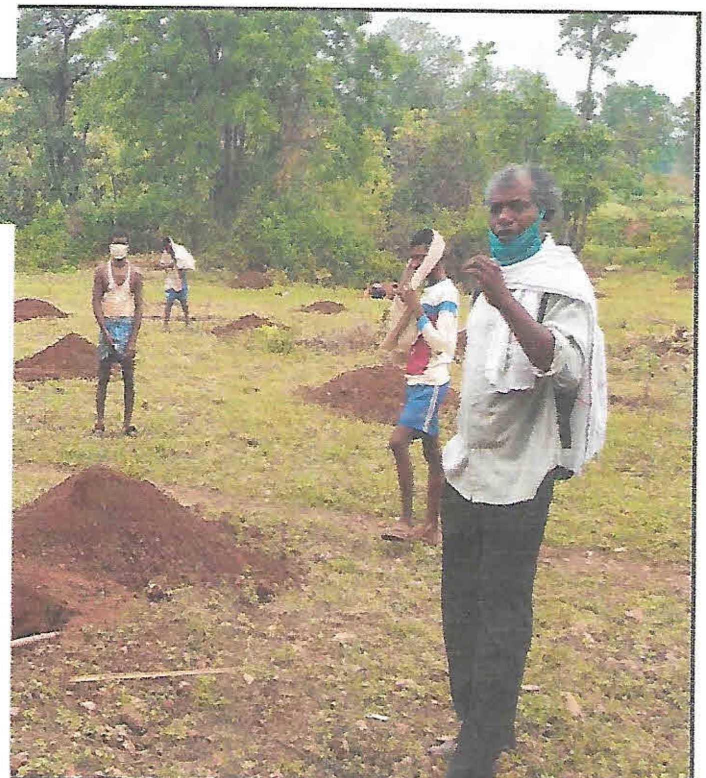

नरेगा सहायता केंद्र का उद्घाटन

कोरोना से संबंधित गतिविधियां

(COVID-19)

अन्य कार्यक्रमों के फोटो ग्राफ

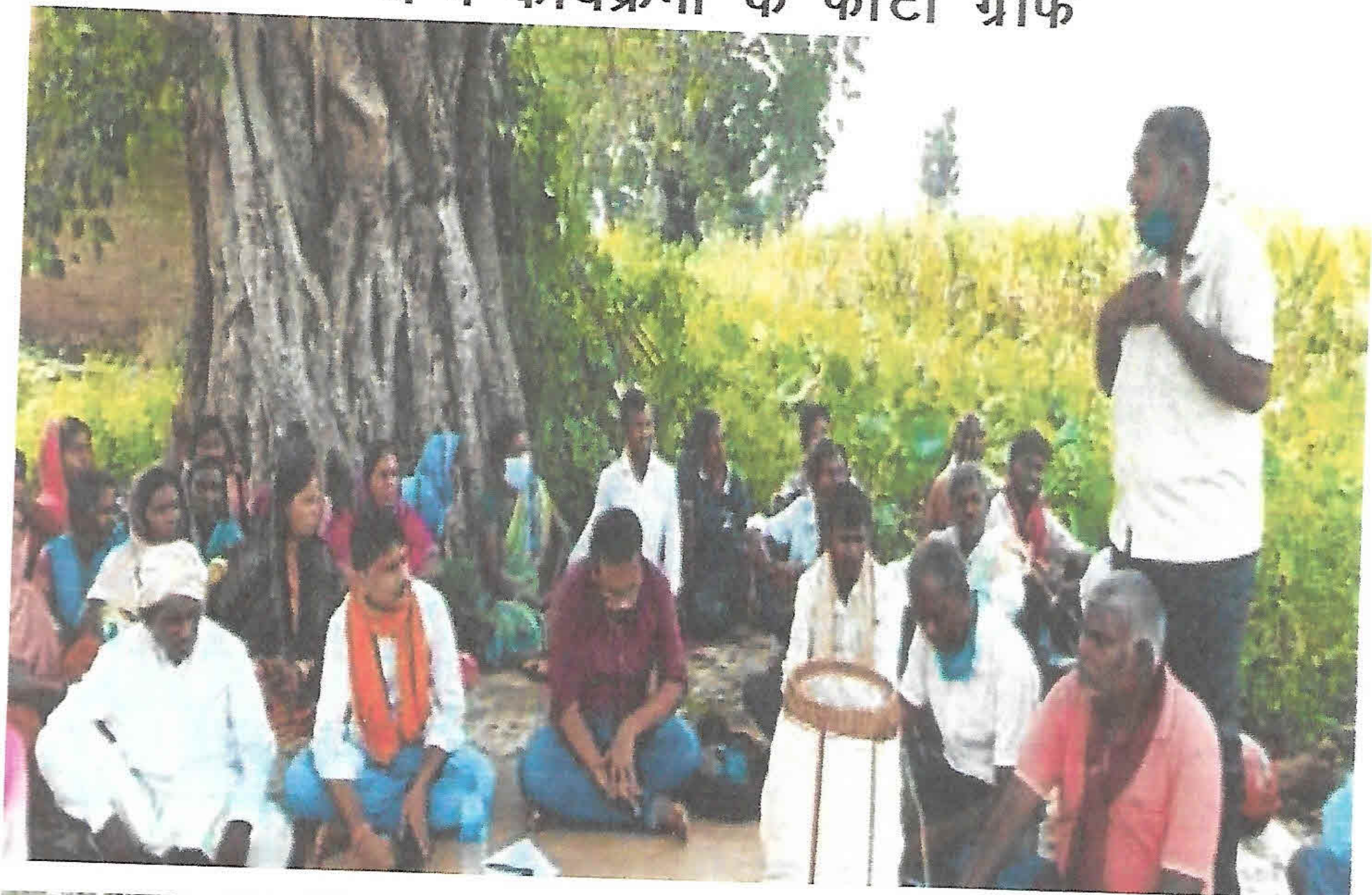

संस्था की गतिविधियां मिडिया में

दैनिक भास्कर | 09-Apr-2020
पलामू भास्कर Page 1

महिलाएं दस रुपए में दे रही हैं मास्क शहर के लोगों को मिल रही बड़ी राहत

सैनिटाइज कर रखे गए मास्क।

झारखंड में मनरेगा के सामाजिक अंकेक्षण को मिली राष्ट्रव्यापी पहचान : आराधना

नरेगा सहायता केंद्र का उद्घाटन

बड़गड | प्रतिनिधि

बड़गड़ मे रविवार को नरेगा सहायता केंद्र का उद्घाटन करते झारखंड नरेगा वॉच के राज्य संयोजक जेम्स हेरेंज और अन्य।

नरेगा मजदूरों, पेंशन धारियों, राशन कार्ड धारियों सहित अभिवंचित परिवारों को सरकार की ओर से चलाई जा रही कल्याणकारी योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए नरेगा सहायता केन्द्र का उद्घाटन रविवार को किया गया। यह केन्द्र वर्तमान में कालाखजुरी गांव निवासी दिवंगत बरदान कच्छप के घर के पास शुरू किया गया।

मौके पर झारखंड नरेगा वॉच के राज्य संयोजक जेम्स हेरेंज ने कहा कि यह केन्द्र शुरू होने से अब इस इलाके के मनरेगा मजदूरों सहित विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के वास्तविक हकधारकों को समुचित लाभ मिलेगा।

उसके साथ ही विकास योजनाओं में भ्रष्टाचार पर लगाम लगेगा। उसके अलावा ग्राम सभा सशक्तिकरण, वन अधिकार को लागू करने, विकास योजनाओं का ग्राम सभाओं के माध्यम से सामाजिक अंकेक्षण को लागू करने में मदद मिलेगी। सहायता केन्द्र के जिला समन्वयक माणिकचंद कोरवा ने कहा कि यह क्षेत्र विकास के मामले में काफी पिछड़ा है। कई आदिम जनजाति परिवारों को सरकारी योजनाओं का समुचित लाभ नहीं मिलना अत्यन्त दुखदायी है। यह केंद्र इस क्षेत्र के लोगों की मदद के लिए खोला जा रहा है।

केन्द्र का संचालन प्रत्येक रविवार और बुधवार को किया जाएगा। इस अवसर पर ग्राम प्रधान विश्राम बाखला, सामाजिक कार्यकर्ता मिथिलेश कुमार, आदिवासी मामलों के विशेषज्ञ फिलिप कुजूर ने भी अपने-अपने विचार रखे। मंच संचालन सुनील कुजूर ने किया। मौके पर काफी संख्या में विभिन्न गांवों के ग्रामीण उपस्थित थे।

9 महिलाओं ने 9 एकड़ जमीन पर लगाया आम का पौधा, गांव के लोगों की प्रेरणा बनीं

मिसाल... लातेहार में जान्हो गांव की महिला किसानों की मेहनत लाई रंग, आम की फसल से गुलजार हुई बंजर भूमि

9 महिलाओं ने दिखाई गांव के लोगों को स्वावलंबी बनने की राह

■ गढ़वा के पारा शिक्षक ने लिखी पुस्तक- कोरवा भाषा शब्दकोष

समाज की विलुप्त होती भाषा को बचाने की कवायद

समुदाय के लोगों से लेंगे सहमति

क्या है कोरवा भाषा शब्दकोष में

रंका प्रखंड में कहां हैं कोरवा

सरकार ने दिया है विशेष संरक्षण

Hindustan Times

FIRST DOCUMENTATION OF THE LANGUAGE

Para teacher compiles dictionary of words used by people from Korwa tribe in Garhwa

Vishal Sharma

GARHWA: A man from primitive tribe, following the hard work of two decades, finally came out with a dictionary of Korwa language used by his own people.

The man behind this remarkable move is 35-year-old Hiraman Korwa who has been working as a para teacher with a government middle school at Sinjo in Garhwa district since 2005.

The publication of this thesaurus of Korwa words assumes significance, for it is the first ever written documentation of the language used by the Korwa tribe members. The Korwas are one of the nine primitive tribes groups inhabiting the parts of Latehar and Garhwa districts. Their numbers are dwindling and so is their language.

Thirty five-year-old Hiraman Korwa. HT PHOTO

Hiraman Korwa on Thursday said, "Our grandfather and grandmother used this language, but people of our generation cannot speak the language spoken by our forefathers. Since early childhood when I was in primary class, I developed an interest in using this language. I opened a dairy and started recording new words that I came across in family or neighbourhood. Soon it became passion for me."

"When I managed to compile more than 1000 words and new words were hard to come by, I decided to publish a book so that others can benefit," said Hiraman while recalling an incident where a block level officer had asked a Korwa man to speak in his mother tongue but he could not.

Hiraman said that this episode only made his wish stronger but he could not manage to get this book out on his own. The Multi Art Association, an NGO working in Palamu region, offered help and got this book polished.

Mithilesh Kumar, the secretary of this body, said, "We are promoting this exemplary work on Korwa language. We will soon release the book for public and hold several sessions with Korwa community elders to expand the word base."

"We have also started working on a script for this language and a beginners book," Kumar pointed out.

ऐतिहासिक कार्य पलामू के मल्टी आर्ट एसोसिएशन की आर्थिक मदद से प्रकाशित हुआ 50 पन्नों का यह शब्दकोष

हीरामन ने कोरवा भाषा का बनाया शब्दकोष, पीएम ने सराहा

दीपक ● गढ़वा

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को मन की बात में जिस हीरामन कोरवा की चर्चा की, वह गढ़वा जिले के रंका प्रखंड के सुदूर सिंजो गांव के निवासी हैं। हीरामन प्राथमिक विद्यालय सिंजो में ही पारा शिक्षक हैं। उन्होंने कोरवा भाषा का शब्दकोष तैयार किया है। इसमें उन्हें बारह वर्ष लग गए।

हीरामन कहते हैं कि शब्दकोष तैयार होने से कोरवा भाषा को संरक्षित करने व समृद्ध करने में काफी मदद मिलेगी। कोरवा भाषा में गांव को डंगा, राख को तोरोज, खाना खाएंगे को लेटे जोमाउह, आग को मड़ंग कहते हैं। यह शब्दकोष कोरवा भाषा के ऐसे ही शब्दों से आम लोगों का परिचय कराता है। कहते हैं जब मैंने होश संभाला तभी से कोरवा भाषा के शब्दों को डायरी में लिखकर सुरक्षित करने लगा। समय के साथ लोग भले इस भाषा को भूल गए, पर उनकी डायरी में महफूज रहे। उन्हें बचपन से ही इस भाषा का लुप्त होना कचोट रहा था। उन्होंने निश्चय किया कि कोरवा भाषा को संरक्षित करेंगे। जैसे-जैसे उम्र बढ़ती गई यह इच्छा और भी प्रबल होती गई। हीरामन बताते हैं कि प्रारंभिक शिक्षा उसी विद्यालय में हुई जिसमें आज पारा शिक्षक हैं। जब उन्होंने डायरी में सहेजे शब्दों का शब्दकोष बनाने की बात सोची तो इसमें आर्थिक तंगी आड़े आ गई। ऐसे में उनका सहयोग पलामू के मल्टी आर्ट एसोसिएशन ने किया। इस संस्था ने शब्दकोष प्रकाशित कराने में आर्थिक मदद की। कुल 50 पन्नों के इस शब्दकोष में कोरवा भाषा में प्रयुक्त होने वाले शब्द, पशु-पक्षियों से सब्जी, रंग, दिन, महीना समेत घर-गृहस्थी से जुड़े कई शब्द शामिल हैं। हीरामन के अनुसार, गांव के बुजुर्गों से बातचीत के दौरान मिले शब्दों को संकलित कर इसे अंजाम दिया है हीरामन कहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात में उनकी कोशिश का जिक्र कर उन्हें सुर्खियों में ला दिया। इस हर कोई इस शब्दकोष को देखना-पढ़ना चाहता है। वह बार बार प्रधानमंत्री को धन्यवाद करते नजर आए। मालूम हो कि झारखंड में कोरवा जनजाति की आबादी महज छह हजार है। पलामू के रामगढ़, छतरपुर व गढ़वा के भंडरिया, रंका प्रखंड के सुदूर गांवों में ये निवास करते हैं। इनके पूर्वज छत्तीसगढ़ से आकर झारखंड में बसे थे।

हीरामन कोरवा ● जागरण

प्रेरक पहल

- जिस स्कूल से की पढ़ाई उसी में आज पारा शिक्षक के पद पर हैं तैनात
- पिछले बारह साल से डायरी में शब्दों को सहेज रहे थे हीरामन
- हीरामन के शब्दकोष से कोरवा साहित्य को मिलेगा बढ़ावा

कोरवा भाषा का बनाया गया शब्दकोष।

पीएम ने झारखंड के शिक्षक हीरामण को खूब सराहा

रांची : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात में झारखंड के गढ़वा जिले के हीरामण का जिक्र किया। उन्होंने बताया कि हीरामण ने झारखंड की संस्कृति और पहचान के संरक्षण के लिए एक सराहनीय प्रयास किया है। हीरामण ने यहां की विलुप्त होती कोरवा जनजाति के संरक्षण के लिए एक शब्दकोश बनाया है। हीरामण ने 12 सालों की अथक मेहनत के बाद कोरवा भाषा का शब्दकोश तैयार किया है। मोदी ने बताया कि हीरामण ने इस शब्दकोश में घर-गृहस्थ में प्रयोग होने वाले शब्दों से लेकर दैनिक जीवन में इस्तेमाल होने वाले कोरवा भाषा के ढेर सारे शब्दों को अर्थ के साथ लिखा है। पीएम नरेंद्र मोदी ने बताया कि कोरवा जनजाति की आबादी महज 6 हजार है। यह समुदाय शहरों से दूर पहाड़ों और जंगलों में निवास करती है। हीरामण प्राथमिक विद्यालय सिंजो में पारा शिक्षक हैं। उनका कहना है कि शब्दकोष के तैयार हो जाने के बाद कोरवा भाषा को संरक्षित एवं समृद्ध करने में मदद मिलेगी।

ने लिखा है कि इस बार हम ये नया काम करें कि देश को बधाई दें, शुभकामनाएं दें।

गुजरते साल की नई सीख : नमो ऐप पर मुंबई के अभिषेक जी ने एक मैसेज

» शेष पेज 11 पर

सन्मार्ग - 28/12/2020

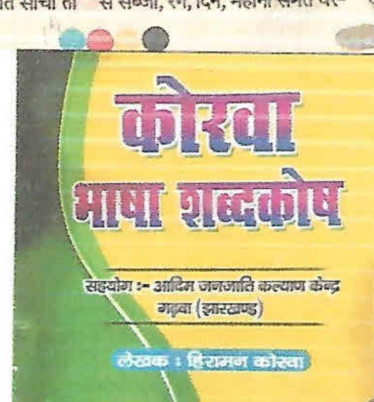

Annual Report 2020-21

Multi Art Association

www.maango.org

06562-295286, 9431193202

maa.palamu@gmail.com